न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 171/2020 तारीख रजू 26.11.2020

रामकल्याण पुत्र नेनगा जाति बैरवा निवासी कानेटी तह.खण्डार। --- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ। ---- रेस्पो0

निर्णय दिनांक 5/3/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 71/2020 मे पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बिचपुरी गुजरान के आराजी खसरा नम्बर 702/184 रकबा 1 बीघा किस्म बंजड 2 पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया है एवं गलत प्रकार से निर्णय पारित किया है इसलिये माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। यह है कि अपीलान्ट को कोई सम्मन नहीं मिला नहीं अपीलान्ट कोई तामील हुयी तथा नहीं जवाब देही का अवसर दिया यदि अपीलान्ट को सम्मन दिया जाता तो अपीलान्ट अपने पक्ष में जवाब पेश करता। यह भी तर्क दिया है कि आराजी खसरा नम्बर 702/184 रकबा 1 बीघा राजस्व ग्राम बिचपुरी गुजरान पर अपीलान्ट का को कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा नहीं अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है, मात्र पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अपीलान्ट को 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलान्ट का कब्जा अपनी स्वंय की खातेदारी की आराजीयात पर है जो उक्त विवादित भूमि के पास स्थित है तथा सीमाज्ञान नहीं हो रहा है। प्रार्थी अपनी ही जमीन पर काश्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:52:59 IST
Reason: SelfAttested

करता है परन्तु पटवारी हल्का ने कार्यालय में बैठकर रंजिश वश उक्त झूंठी रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। यह भी तर्क दिया है कि पाश्चतवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्ट के घर से बाहर गावं जाने की स्थितिमें तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस की एक प्रति खुले मकान पर चश्पा कर तामील करायी गयी अपीलान्ट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 09.10.2020 को उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मै सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 में बेदखली,शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5/3/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्फतर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:52:59 IST
Reason: SelfAttested